डॉ0 गौतम कुमार

अतिथि शिक्षक

राजनीति विज्ञान विभाग

आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

भारतीय सामाजिक जीवन में लैंगिक असमानता

आजादी के सात दशक बीत जाने के बाबजूद भी, वर्त्तमान समय में हमारे समाज में लैंगिक असमानता की भावना कूट–कूट कर भरी हुई है। विभिन्न शिक्षाविदों ने कहा है कि भारत भले ही विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आने के लिए प्रयत्नशील है लेकिन आज भी बिना संर्कीण भावना को दूर किये, उच्च शिक्षा एवं लैंगिक असमानता को दूर किये बगैर अपनी लक्ष्य को पाना मुमकिन नहीं है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को अपनी विचारधारा बदलने की नितांत आवश्यकता है।

लैंगिक असमानता का अर्थ एवं उत्पत्ति –

अंग्रेजी के जेंडर शब्द से सभी परिचित है। जेंडर अर्थात् लिंग। व्यवहारिक जीवन में लोग नर और मादा की पहचान, उसके शारीरिक बनावटों अथवा ढ़ाचों से कर लेते हैं। शारीरिक बनावट के आधार पर स्त्री पुरूष में अन्तर तो है लेकिन स्त्री पुरूष की यह असमानता, आज समाज की प्रकृति बन गयी है। पुरूषोचित व स्त्रियोंचित को इस रूप में नहीं जॉचा जा सकता है। उसकी परख सांस्कृतिक मापदण्ड से किया जाना चाहिए, जो समय और स्थान के आधार के साथ बदलते हैं। शताब्दियों से यह माना जा रहा है कि स्त्री और पुरूषों की विशेषताएँ, उनकी भूमिकाओं एवं लिंग के आधार पर निर्धारित होता है।

लैंगिक असमानता के विभेद के कारक –

1. **धार्मिक कारण–** प्राचीन काल से ही हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज का द्योतक रहा है। जिस परिवार अथवा घर में पुत्र नहीं हुआ करता था, उस घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि कराये जाते थे। उस समय भी घर में बेटा के जन्म के समय जश्न मनाया जाता था और बेटी के जन्म पर लोग किसी भी प्रकार का प्रयोजन नहीं किया करते थे। धार्मिक दृष्टिकोण से हमलोग नारी को देवी के रूप में मानते हुए उसकी पूजा करते हैं वही घर में बेटी के जन्म को, हीन भावना से देखना लैंगिक असामनता का परिचायक है। समाज के मानसिक विकृति का परिचायक है कि लोगों में मान्यता है कि **"पुत्र वरदान का रूप है, जबकि पुत्री समस्याओं का द्योतक है।"**

2. **आर्थिक कारण –** आज भी भारत गॉवों का देश है। अधिकांश लोग गॉवों में निवास करते हैं और उनका मुख्य पेशा खेती है। मुख्य पेशा खेती होने के कारण घर की आर्थिक स्थिति हमेशा कमजोर बनी रहती है। जिसके कारण उस घर में उच्च शिक्षा एवं समुचित विकास का हमेशा आभाव रहता है। घर का प्रधान पुरूषों को, धर्नाजन को स्रोत्र माना जाता है वही दूसरी तरफ घर की महिलाऍ अपने घरेलू कामकाज में लीन रहती है एवं अपने बच्चों की देखभाल करती है। प्राचीन काल से आज तक हमारे समाज में दहेज की परम्परा व्यापक रूप से विद्यमान है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण घर के प्रधान अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में नहीं कर पाते हैं। वही बेटे की शादी में अधिक से अधिक दहेज की आशा करते हैं, जो संकीर्ण मानसिकता एवं लैंगिक असमानता की ओर इंगित करता है।
3. **सामाजिक कारण –** भले ही आज हम अपने आप को विकसित मान रहे हैं लेकिन आज भी हमारा समाज पूर्णरूपेण विकसित नहीं हुआ है। आज भी हमारे समाज में घर–घर की कहानी है कि जिस घर में बेटा नहीं है उस घर को हमारे समाज के लोग अलग नजरिए से देखते हैं। उस घर की महिलाओं को, पुरूष समेत समाज के लोगों से प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। समाज के लोग यहॉ तक भी कह देते है कि जिस परिवार के सम्पत्ति का भोग करने के लिए कोई पुत्र नहीं है उस परिवार के होने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। जन्म से ही सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होने के कारण उस घर की बेटियॉ उच्च शिक्षा नहीं ले पाती है। आज भी हमारा समाज पुरूष प्रधान के रूप में देखा जा रहा है जो समाजिक लैंगिक असमानता को दर्शाता है।
4. **राजनीतिक कारण –** आजादी से लेकर आज तक, केन्द्र से लेकर राज्य तक विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की सरकार सत्ता में काबिज रही है लेकिन आज भी हमारे समाज में लैगिंक असमानता व्यापक रूप में विद्यमान है। कहीं न कहीं हमारे राष्ट्र, राज्य एवं समाज को सरकार की गलत नीतियों का शिकार होना पड़ रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियॉ भले ही सामाजिक विकास की बात करती है लेकिन आज भी हमारे समाज में लैंगिक असमानता है, जो चिंतन का विषय है। राजनीतिक पार्टी में महिलाऍ भी सत्ता में काबिज है लेकिन महिलाऍ भी अपने आप में सजग नही है, कहीं न कहीं उनकी संख्या कम होने के कारण पुरूषोचित का शिकार होना पड़ रहा है। यहॉ यह कहना न्यायोचित प्रतीत होता है कि राजनीतिक दल केवल अपने वोट के लिए नीतियों का निर्धारण करती है। उसे समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता से कोई वास्ता नहीं है।

लैंगिक असमानता को दूर करने के उपाय –

1. **समानता का अधिकार एवं महिला सशक्तिकरण–** संविधान के द्वारा भले ही सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार एवं कानूनी दृष्टिकोण से स्त्री और पुरूष को समान अधिकार प्रदान कर दिया गया है लेकिन आज भी धरातल पर एवं व्यवहारिक जीवन में पूर्णरूपेण देखने को नहीं मिल रहा है। आज भी अधिकांश घरों में बेटा एवं बेटी को लैंगिक असमानता का शिकार होना पड़ रहा है। खासकर

आज भी अधिकांश घरों में उच्च शिक्षा, खान–पान, पहनावा इत्यादि में असमानता देखते को मिलता है। आवश्यकता है घर की बच्चियों को, बेटे की तरह उच्च शिक्षा दिलाने की, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, पुरूषों के समान स्त्रियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने की जरूरत है। खासकर हिन्दू समाज में घर की बेटियों को भी सम्पत्ति से लेकर सभी चीजों में, व्यवहारिक रूप समान अधिकार मिलना चाहिए। समूचे भारत में बिहार पहला ऐसा राज्य बना, जिसने स्थानीय निकाय चुनाव अर्थात पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीट आरक्षित कर दिया। जिसका परिणाम आज वार्ड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक की बैठकों में समान भागीदारी देखने को मिल रहा है। महिला सशक्तिकरण के कारण आज अधिकांश घर की महिलाएँ अपने बच्चियों को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक एवं प्रेरित कर रही है। जिसके कारण आज महिलाएँ राजनीतिक, सरकारी एवं निजी सेवा, खेल जगत, फिल्मी दुनिया तथा जीवन के हर क्षेत्रों में पुरूषों के साथ कदम में कदम मिलाकर चल रही है, जो लैंगिक समानता का परिचय है।

2. **शिक्षा एवं सामाजिक चेतना का विकास –** स्वतंत्रता के समय से लेकर अभी तक, शिक्षा के क्षेत्र में काफी तेजी से विस्तार एवं विकास हुआ है। आज निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के कारण, निम्नवर्गीय परिवार से लेकर उच्च वर्गीय परिवार के लोग अपनी संर्कीण मानसिकता एवं लैंगिक असमानता को दूर करने के उद्वेश्य से अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने की दिशा में प्रत्यनशील हैं। आज सामान्य शिक्षा से लेकर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी अवसर है। जिसके कारण आर्थिक रूप से कमजोर एवं निम्नवर्गीय परिवार के बच्चे–बच्चियॉ अपनी भविष्य के प्रति दायित्वों का निर्वहन करते हुए राजनीतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्रों में समान भागीदारी निभा रही है। आज **"राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का संतान, सबको शिक्षा एक समान"** वाली कहावत को भी चरितार्थ करने की आवश्यकता है। इसे समाजिक चेतना का विकास कहा जा सकता है।
3. **लोक कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन –** सरकार के द्वारा समय–समय पर लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के लोककल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ", अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, बाल विवाह उन्मूलन अभियान, बालिका साईकिल योजना, बालिका पोशाक योजना जैसी लोककल्याकारी योजना लैंगिक असमानता को दूर करने में मिल का पत्थर साबित हो रही है। आज "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" योजना की देन है कि हर घर की बेटियॉ शिक्षा के प्रति जागरूक होकर तथा उच्च शिक्षा ग्रहण कर विभिन्न क्षेत्रों में अपना कब्जा जमाकर परचम लहरा रही है। दहेज प्रथा को समाप्त करने एवं जातिवाद की भावना को समाप्त करने के उद्वेश्य से अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत सभी जातियों के लोग दूसरे जातियों के साथ वैवाहिक जीवन स्थापित कर रहे हैं एवं सुखमय दामपत्य जीवन का आन्नद ले रहे हैं। अभी भी "**जाति, धर्म का बंधन तोड़ो और मानव से मानव का नाता जोड़ों**" वाली कहावत को चरितार्थ करने की आवश्यकता है। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को, आर्थिक रूप से

सबल बनाने की आवश्यकता है ताकि बाल विवाह का अन्त हो सके। पहले अधिकांश घरों में लैंगिक असमानता के कारण लोग बेटियों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजते थे तथा उसके पहनावा एवं रहन सहन में अन्तर करते थे, जिसके कारण घर की बेटियॉ उच्च शिक्षा से बंचित हो जाती थी तथा बेटा–बेटी में दोहरी नीतियॉ दिखाई पड़ता था। ऐसी स्थिति में बिहार में बालिका साईकिल योजना, बालिका पोशाक योजना, लैंगिक असमानता को दूर करने में काफी मददगार रहा।

4. **संविधान के अधिनियमों का क्रियान्वयन –** संविधान में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए दहेज प्रथा उन्मूलन अधिनियम,1961 को धरातल पर उतारने की आवश्यकता है। प्राचीन काल में पुरूषों की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को भी साथ में जला दिया जाता था। समाज सुधारक राजाराम मोहन राय ने स्त्रियों के साथ हो रहे अत्याचार को रोकने, स्त्रियों को भी स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार दिलाने एवं लैंगिक समानता को स्थापित करने के लिए सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम,1829 बनाया। उक्त अधिनियम के बाद स्त्रियॉ नीर्भिक एवं स्वतंत्र रूप से जीवन जी रही है। दहेज के कारण महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार जैसे–दहेज के कारण जिंदा जला देने, महिलाओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने में, दहेज प्रथा उन्मूलन अधिनियम काफी कारगर साबित हुआ। उक्त अधिनियम के पारित हो जाने के बाद महिला हिंसा में काफी कमी आयी है।

5. **वार्ड से लेकर संसद तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व –** लैंगिक असमानता को दूर करने के उद्वेश्य से संविधान में महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया है। महिला आरक्षण के कारण ही आज राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है फिर भी अभी तक महिलाऍ अपने पूर्ण लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकी है। अभी भी महिलाओं में राजनीतिक चेतना का विकास एवं सबल होने की आवश्यकता है। इसके लिए सामाजिक चेतना को जागृत करना होगा एवं समाज में फैले लैंगिक असमानता की भावना को दूर करना होगा।

5. **नारी चिंतन की आवश्यकता –** वर्त्तमान समय में नारी चिंतन, लैंगिक असमानता एक दूसरे का पूरक है। लैंगिक असमानता के कारण ही आज नारी चिंतन की आवश्यकता महसूस हो रही है। विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, महिला संगठनों एवं सरकार के द्वारा समय–समय पर नारियों की सुरक्षा एवं सरंक्षण, नारियों को सामान अधिकार इत्यादि विषयों पर समेनिार, संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है। उक्त कार्यक्रम में महिलाऍ भी अपना प्रतिनिधित्व कर रही है तथा अन्य महिलाओं को भी अपने अधिकार एवं कर्त्तव्य के प्रति जागरूक कर रही है। नारी भी आज अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए, अपने परिवार में अपने महत्व से परिवार के अन्य लोगों को अवगत करा रही है। नारी आज, परिवार के पुरूषों को यह बताना चाह रही है कि हम भी पुरूषों की भॉति हर काम कर सकते हैं एवं कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। जिसके कारण आज लैंगिक असमानता दूर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है।

6. **लिंग संवेदीकरण –** आजकल सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों के द्वारा महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। लिंग संवेदीकरण का उद्वेश्य यह है कि समाज में महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का दुव्यवहार न हो और जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं को सम्मान किया जाय।

निष्कर्ष –

अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय सामाजिक जीवन में लैंगिक असमानता अप्रत्यक्ष रूप से विकास में बाधक रही है। धार्मिक स्तर से लेकर सामाजिक स्तर, राजनीतिक स्तर पर लैंगिक असमानता के कारण ही आज समाज में विभिन्न प्रकार के अत्याचार यथा– हत्या, बलात्कार, अपहरण, भेद–भाव इत्यादि आधारित झगड़े हो रहे हैं। आर्थिक स्तर से कमजोर परिवार को लैंगिक असमानता का शिकार होना पड़ रहा है। इसी लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए संविधान में प्रदत मौलिक अधिकारों को क्रियान्वयन की आवश्यकता है एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सामाजिक चेतना एवं शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठा कर, सभी को लोककल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाकर, नारियों का उत्थान एवं विकास कर, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित कर लैंगिक असमानता को दूर किया जा सकता है।

संदर्भ सूची –

1. बसु दुर्गा दास – भारत का संविधान एक परिचय, प्रेंटिस–हाल आफ इंण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली–110001 वर्ष 1989
2. सिंह डॉ0 राधेश्याम, विमर्श, एक अन्तर्विषयक शोध पत्रिका, कमला नेहरू भौतिक एवम् सामाजिक विज्ञान संस्थान, सुल्तानपुर, वर्ष 5, अंक–1, 2014
3. "शशि" डॉ0 शशि भूषण कुमार, भूमण्डलीकरण : साहित्य, समाज और संस्कृति, ऐक्सिस बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली–110002
4. गुप्ता सरोज कुमार, भारतीय नारी, कल आज और कल, प्रकाशन, संस्थान नई दिल्ली, संस्करण 2012.
5. सिंह मंगलनाथ व हटन जे.एच., भारत में जाति प्रथा, मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली–7, प्रथम संस्करण 1983
6. पाण्डेय डॉ0 ब्रजेश कुमार, अपने समय में हस्तक्षेप, किशोर विद्या निकेतन, वाराणसी, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2011